



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, 121-

झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- 01/यो0ब0-45/2015(खण्ड-3)- 679

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग/ चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/ गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा/ मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/ देवघर वन प्रमंडल, देवघर/ वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा।

दिनांक :-16/05/2016

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण (पुराना नाम पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए 151.036 लाख (एक करोड़ एकावन लाख तीन हजार छः सौ) रुपये मात्र का उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :- वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-7/यो0बजट-72/2015-23/ स्वी0 व0प0 दिनांक 01.07.2015 एवं आवंटन आदेश संख्या-04/यो0बजट-72/2015-14/आ0 व0प0 दिनांक 22.04.2016 ।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण (पुराना नाम पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल 151.036 लाख (एक करोड़ एकावन लाख तीन हजार छः सौ) रुपये मात्र की ऑन-लाईन उप आवंटन की जा रहा है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	2406— वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष—01 वानिकी, लघु शीर्ष— 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष—59—अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना	मजदूरी	19P240601789590103	114.682
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601789590323	36.354
		कुल आवंटित राशि		151.036

अर्थात् कुल 151.036 लाख (एक करोड़ एकावन लाख तीन हजार छः सौ) रुपये मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्तमान आवंटित राशि 151.036 लाख (एक करोड़ एकावन लाख तीन हजार छः सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली " अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण (पुराना नाम पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना)" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

5. न्यूनतम मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाएगा। वन प्रमंडलों द्वारा स्थल विशेष प्राक्कलन श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर एवं विभागीय कार्य दरों पर तैयार किया जाएगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी। किसी भी एक सड़क या एक कैम्पस में रोपित होने वाले बॉस गैबियन को एक योजना माना जायेगा तथा पूर्ण योजना चार वर्षीय होगी जिसका सम्पोषण कार्य तृतीय वर्ष अंश होगा।

6. तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त स्थल विशेष योजनाएँ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरांत ही आवंटित राशि व्यय की जाएगी तथा तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन की गयी राशि तक व्यय सीमित रखी जायेगी।

7. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

8. वर्तमान में राशि का उप आवंटन प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन के अनुरूप किया जा रहा है, परन्तु राशि का भुगतान संलग्न कार्य दर के अनुरूप किया जाएगा। शेष राशि अलग से उप आवंटित की जाएगी।
9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा।
10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा योजनांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे। एक प्रति कार्यालय अभिलेख हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को समर्पित करेंगे।
11. स्थल विवरणी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही उप आवंटन राशि का व्यय किया जाएगा।
12. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी-पत्र- परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
13. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम - 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।
15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार का कार्यालय ज्ञाप संख्या 3037 दिनांक 02.05.2012 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में बिना पथ निर्माण विभाग की अनुमति के उनके स्वामित्व/नियंत्रणाधीन पथों पर वृक्षारोपण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। योजना कार्यान्वयन के पूर्व संबंधित भू-स्वामित्व/नियंत्रणाधीन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही राशि का व्यय किया जाएगा।
17. शहरों में सड़कों के किनारे एक सड़क पर सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय, बाँस गैबियन पर गैबियन संख्या अंकित की जाएगी, बाँस गैबियन में प्रकाष्ठ प्रजाति, फलदार एवं शोभाकार पौधों का रोपण किया जाएगा, प्रत्येक ग्राम के निकट पथ के

दोनों तरफ कम से कम 50 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा एवं पौधों का क्रय विभागीय पौधशालाओं से करने को प्राथमिकता दी जाय। 118-

18. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।

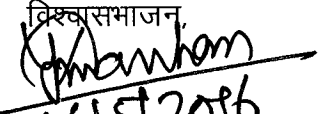
19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

20. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

21. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

22. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक-1, कार्यदर अनुलग्नक-2 एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

16/5/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।


117-
दोनों तरफ कम से कम 50 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा एवं पौधों का क्रय विभागीय पौधशालाओं से करने को प्राथमिकता दी जाय।

18. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

20. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

21. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

22. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **अनुलग्नक-1**, कार्यदर **अनुलग्नक-2** एवं ऑन-लाईन उप आवंटन **अनुलग्नक-3** पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

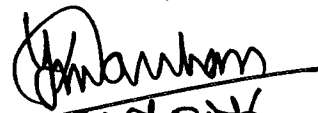
अनुलग्नक :- यथोक्त।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0-45/2015(खण्ड-3)-679 राँची, दिनांक :- 16.05.2016

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

दोनों तरफ कम से कम 50 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा एवं पौधों का क्रय विभागीय पौधशालाओं से करने को प्राथमिकता दी जाय।

18. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

20. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

21. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

22. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक-1, कार्यदर अनुलग्नक-2 एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :- यथोक्त।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0-45/2015(खण्ड-3)-679 राँची, दिनांक :- 16.05.2016

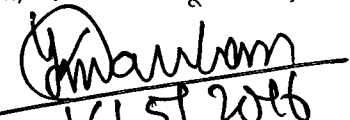
प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0-45/2015(खण्ड-3)-679 राँची, दिनांक :- 16.05.2016

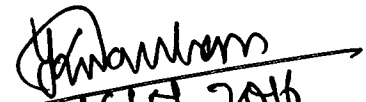
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/कोषागार पदाधिकारी, चतरा/कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा/कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़/कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर, पलामू/कोषागार पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16/5/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वैतीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण (पुराना नाम पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का समापन कार्य का प्रमण्डलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	गैबियन संख्या में	वित्तीय वर्ष 2016-17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			288.64	91.50	380.14
i	ii	iii	vi	v	vi
1	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	2481	7.161	2.270	9.431
2	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	2481	7.161	2.270	9.431
3	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	2111	6.094	1.932	8.026
4	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	2111	6.094	1.932	8.026
5	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	2111	6.094	1.932	8.026
6	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	2481	7.161	2.270	9.431
7	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	2481	7.161	2.270	9.431
8	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	2481	7.161	2.270	9.431
9	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	2481	7.161	2.270	9.431
10	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	2592	7.481	2.372	9.853
11	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	1170	3.378	1.070	4.448
12	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	1556	4.491	1.423	5.914
13	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	2259	6.520	2.067	8.587
14	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	2259	6.520	2.067	8.587
15	साठवाठ प्रमण्डल, देवघर	2259	6.520	2.067	8.587
16	साठवाठ प्रमण्डल, हजारीबाग	2259	6.520	2.067	8.587
17	साठवाठ प्रमण्डल, कोडरमा	2259	6.520	2.067	8.587
18	साठवाठ प्रमण्डल, गढ़वा	1900	5.484	1.738	7.222
योग :-		39732	114.682	36.354	151.036


 16/5/2016
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

पथटट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस -गैबियन में वृक्षारोपन

1. बाँस-गैबियन का आकार: 6'-6"x2'-6"x2'-6"

2. स्पेसिंग - पंक्ति से पंक्ति की दूरी - 3 मी०

- पौधे से पौधे की दूरी - 8 मी०

मजदूरी दर

221.61 प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस (प्रति हे०)	मजदूरी, (रु०)	सामग्री प्रति हे०	कुल व्यय (रु०)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2016-18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित		0.00	0.00	20.00	20.00	पौधों का क्रय विभागीय लम्बे पौधों की नर्सरी से किया जाएगा।
2	गड़ढ़े में डालने हेतु बालू एवं गोबर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना ;1बजि बालू, बजि वर्णित कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)		0.15	33.24	20.00	53.24	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)		0.10	22.16	2.00	24.16	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव		0.15	33.24	4.50	37.74	
5	पटवन (रिक्शा/टेला द्वारा)		0.50	110.81	25.00	135.81	
6	सुरक्षा		0.50	110.81	0.00	110.81	
7	साईन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग प्रति गैबियन		0.00	0.00	20.00	20.00	
	योग		1.40	310.25	91.50	401.75	


 16/9/2016
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची


-113-

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-45/15-3/679

दिनांक - 16-May

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26337	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	716,100.00 रुपये सात लाख सोलह हजार एक सौ
2	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26348	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	716,100.00 रुपये सात लाख सोलह हजार एक सौ
3	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26350	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O., NORTH DIV. CHATRA	609,400.00 रुपये छः लाख नौ हजार चार सौ

2,041,600.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये बीस लाख इकतालीस हजार छः सौ

(SHRI.Y. K. CHAURHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 16/5/2016

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26351	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	609,400.00 रुपये छः लाख नौ हजार चार सैं
5	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26363	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	609,400.00 रुपये छः लाख नौ हजार चार सैं
6	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26367	BKRFOR001 VIJAY KUMAR D F O, BOKARO	716,100.00 रुपये सात लाख सोलह हजार एक सैं
7	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26368	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	716,100.00 रुपये सात लाख सोलह हजार एक सैं

योग:

2,651,000.00

क्रमिक योग:

रुपये छयालीस लाख बयानवे हजार छः सैं

4,692,600.00

(SHRI.Y.K.SINGH, CHAUHAN IAS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26371	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	716,100.00 रुपये सात लाख सोलह हजार एक सौ
9	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26372	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	716,100.00 रुपये सात लाख सोलह हजार एक सौ
10	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26373	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	748,100.00 रुपये सात लाख अड़तालीस हजार एक सौ
11	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26375	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	337,800.00 रुपये तीन लाख सेतीस हजार आठ सौ

योग:

2,518,100.00

क्रमिक योग:

रुपये बहत्तर लाख दस हजार सात सौ

7,210,700.00

(SHRI.Y.K.BINCHH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26376	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	449,100.00 रुपये चार लाख उनचास हजार एक सें
13	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26379	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	652,000.00 रुपये छः लाख बावन हजार
14	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26381	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	652,000.00 रुपये छः लाख बावन हजार
15	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26384	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	652,000.00 रुपये छः लाख बावन हजार

योग:

2,405,100.00

क्रमिक योग:

रुपये छयानवे लाख पंद्रह हजार आठ सौ

9,615,800.00

(SHRI.Y.K.SINGH, RANCHI)

ADDL.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 16/5/2016

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26386	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	652,000.00 रुपये छः लाख बावन हजार
17	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26389	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	652,000.00 रुपये छः लाख बावन हजार
18	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26392	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	548,400.00 रुपये पाँच लाख अड़तालीस हजार चार पैसे
19	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26395	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	227,000.00 रुपये दो लाख सत्ताइस हजार

योग:

2,079,400.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड सोलह लाख पिनचानवे हजार दो सौ

11,695,200.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUDHARI)

ADDL.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26398	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	227,000.00 रुपये दो लाख सत्ताइस हजार
21	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26400	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O., NORTH DIV. CHATRA	193,200.00 रुपये एक लाख तिरनावे हजार दो सैं
22	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26401	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	193,200.00 रुपये एक लाख तिरनावे हजार दो सैं
23	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26402	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	193,200.00 रुपये एक लाख तिरनावे हजार दो सैं

योग:

806,600.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड पच्चीस लाख एक हजार आठ सौ

12,501,800.00

(SHRI K. SINGH CHAUHAN)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26404	BKRFOR001 VIJAY KUMAR D F O, BOKARO	227,000.00 रुपये दो लाख सत्ताइस हजार
25	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26406	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	227,000.00 रुपये दो लाख सत्ताइस हजार
26	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26407	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	227,000.00 रुपये दो लाख सत्ताइस हजार
27	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26408	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	227,000.00 रुपये दो लाख सत्ताइस हजार

योग: 908,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड़ चौतीस लाख नौ हजार आठ सौ 13,409,800.00

(Signature)
SHRI Y. K. SINGH (FOR HON. FS)
16/5/2016
ADDI, PCCF, DEV. JHARKHAND
RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26409	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	237,200.00 रुपये दो लाख सैतीस हजार दो स
29	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26412	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	107,000.00 रुपये एक लाख सात हजार
30	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26414	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	142,300.00 रुपये एक लाख बयालीस हजार तीन स
31	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26415	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	206,700.00 रुपये दो लाख छः हजार सात स

योग: 693,200.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड इकतालीस लाख तीन हजार 14,103,000.00

(Signature)
16/5/2016
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUDHARI, D.S.)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
32	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26416	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	206,700.00 रुपये दो लाख छः हजार सात सैं
33	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26418	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	206,700.00 रुपये दो लाख छः हजार सात सैं
34	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26419	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	206,700.00 रुपये दो लाख छः हजार सात सैं
35	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26420	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	206,700.00 रुपये दो लाख छः हजार सात सैं

योग:

826,800.00

क्रमिक योग:

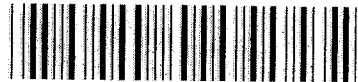
रुपये एक करोड उनचास लाख उन्तीस हजार आठ सैं

14,929,800.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
36	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26422	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	173.800.00 रुपये एक लाख तीहत्तर हजार आठ सौ



योग:

173,800.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड़ इकावन लाख तीन हजार छः सौ

15,103,600.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUDHAN IKS)

ADDI,PCCF,DEV,JHARKHAND